

पत्र सं०- याचिका-ए०-110/2013...../जे०,

बिहार सरकार

विधि विभाग

प्रेषक,

सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा,
सरकार के सचिव,
विधि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक

विषय:- मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में माह जुलाई, 2017 के लिए आयोजित राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति की बैठक के संबंध में।

प्रसंग:- मुख्य सचिव कोषांग गै०स०प्रे० सं०- 939/गो०मु०स० दिनांक-03.07.2017

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में सभी विभागों से संबंधित MJC/CWJC/LPA/SLP की समीक्षात्मक बैठक पूर्व में दिनांक-12.07.2017 को 3.00 बजे अपराह्न में मुख्य सचिवालय स्थित सभा कक्ष में प्रस्तावित थी। मुख्य सचिव, बिहार के निदेशानुसार उपर्युक्त प्रासंगिक पत्र के माध्यम से अपरिहार्य कारणों से उक्त बैठक अब दिनांक-12.07.2017 को ही पूर्वाह्न 11.00 बजे निर्धारित की गयी है। ज्ञातव्य हो कि उपर्युक्त बैठक से संबंधित विभागों के प्रतिवेदन बैठक के ही दिन उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप उन्हें समेकित प्रतिवेदन में सम्मिलित करने में कठिनाई होती है।

अतः अनुरोध है कि निर्धारित तिथि के सात दिन पूर्व अपने विभाग से संबंधित अद्यतन प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में भर कर आवश्यक रूप से अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करते हुए उक्त प्रतिवेदन के साथ बैठक में भाग लेने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा

सरकार के सचिव, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-याचिका-ए०-110/2013/जे०, दिनांक-.....

प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव, बिहार, पटना के विशेष कार्य पदाधिकारी, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा

सरकार के सचिव, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-याचिका-ए०-110/20133653...../जे०, दिनांक -...0.5/0.3/2017

प्रतिलिपि:- सरकार के विशेष सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव एवं आई०टी० प्रबंधक, विधि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा)

सरकार के सचिव, बिहार, पटना।